संख्या– 151 /XVIII(1)/2010–01(26)/2008

प्रेषक,

सन्तोष बडोनी,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा।

राजस्व अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 19 फरवरी, 2010

विषयः–जनपद अल्मोड़ा के कलेक्ट्रेट भवन, उप जिलाधिकारी कार्यालय सदर एवं तहसील सदर के अनुरक्षण कार्य हेतु धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1724/नौ–12/2001–02 दिनांक 23 नवम्बर, 2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत कार्य हेतु मुख्य राजस्व आयुक्त के पत्र संख्या–1112/22–लेखा/2009 दिनांक 16 दिसम्बर, 2009 द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये आगणन लागत रू0 30.24 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त रू0 22.54 लाख की धनराशि औचित्यपूर्ण पायी गयी है। 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुरक्षण/मरम्मत कार्य हेतु एच0एल0सी0 द्वारा अनुमोदनोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि रू0 22.54 लाख (रु0 बाईस लाख चवन हजार मात्र) के आगणन पर प्रशासनिक एंव वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकति प्रदान करते हैं।

1. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल आफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।
2. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनरिाश से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
4. एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
6. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए
7. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लायी जाए।

–2

8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219 (2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
9. जी0पी0डब्लू0 फार्म–9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।
10. उत्तराखण्ड प्रॉक्योरमेन्ट रूल्स, 2008 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्य कराया जायेगा।
11. स्वीकृत धनराशि का तत्काल आहरण कर अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र माह 23 फरवरी, 2010 तक मुख्य राजस्व आयुक्त को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चत किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 लेखाशीर्षक–2059–लोक निर्माण कार्य–80–सामान्य–053–रख–रखाव तथा मरम्मत–आयोजनेत्तर–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0101–12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत भवनों का अनुरक्षण–29–अनरुक्षण के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–595NP/XXVII(5)/2009 दिनांक 19 फरवरी, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्या– 151 (1)/XVIII(1)/2010 एवं तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर सचिव, बजट राजकोषीय, नियोजन व संशाधन निदेशालय, सचिवालय देहरादून।
4. अपर सचिव, वित्त आयोग निदेशालय को वित्त आयोग निदेशालय के पत्र संख्या–421/वी0आर0निदे0/2009 दिनांक 15.01.2010 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग–5
10. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।